an>

Title: Issue regarding illegal meat trade in Meerut.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल **(मेरठ):** अध्यक्ष महोदया, मेरठ में एक मीट प्लांट है। ...(व्यवधान) इसमें 30 नवंबर को 90 टन मीट पकड़ा गया जो बाद में गोमांस निकला। इस मीट को बेचने की इजाज़त नहीं थी पर मालिकों ने इसे बेच दिया। इसको बंद किया गया। इसी प्रकार की घटना 2012 में भी हुई थी। तब 70 टन मीट पकड़ा गया था। वह भी गोमांस निकला था। उसको भी इसी प्रकार से बेच दिया गया था। मेरे क्षेत्र की कठिनाई यह है कि इस प्रकार से मीट प्लांट के नाम पर अवैध कमेले वहाँ पर चल रहे हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पशुओं का कटान हो रहा है, गोवंश का कटान हो रहा है। पशुओं की चोरी हो रही है, पशुओं को छीन लिया जा रहा है और सारे के सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, प्रदूषण विभाग के अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत रहती है। मेरा निवेदन यह है कि इस बार भी इसमें छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। जो मथुरा लैब से टैस्ट होकर आया कि यह गोमांस है, उस पर सवाल खड़े करके दोबारा सैम्पल भेजने की मांग हो रही है। जो प्रकरण है, इसमें अधिकारियों की संलिप्तता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि संपूर्ण प्रकरण की जाँच कराएँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहे इस अवैध कारोबार को बंद कराएँ और गोवंश की हत्या बंद हो, यह मेरा आपसे निवेदन है।